

न्यायालय:-द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, तहसील बैहर, जिला
बालाघाट (म0प्र0)
समक्ष:-दिलीप सिंह

वि.आप.प्रक.क./सक्सेशन क.-03 / 2016

संस्थित दिनांक-10.12.2015

फाईलिंग नम्बर-300336 / 2016

जगदीश धुर्वे उम्र 25 वर्ष पिता परसराम धुर्वे
जाति गोंड निवासी ग्राम वार्ड नं. 02 बैहर (रौंदाटोला)
तहसील बैहर जिला बालाघाट म.प्र.।

— — — आवेदक

// विरुद्ध //

सर्वसाधारण

— — — — — अनावेदक

आवेदक द्वारा— : श्री जी.एल.गौतम अधिवक्ता।

अनावेदकगण द्वारा— : एकपक्षीय।

// आदेश //

(आज दिनांक-29 / 08 / 2017 को पारित)

1— इस आदेश द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925, का निराकरण किया जा रहा है।

2— आवेदक का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक की नानी श्रीमती हिरियाबाई पति सोनसिंह वार्ड नं.02 रौंदाटोला बैहर में निवास करती थीं। जिनकी मृत्यु दिनांक 20.06.2015 को रौंदाटोला में हो चुकी है। हिरियाबाई के वारसान का उल्लेख आवेदन के पेरा-1 में है। हिरियाबाई का कोई पुत्र नहीं था। हिरियाबाई के पति सोनसिंह की मृत्यु हिरियाबाई की मृत्यु के पूर्व हो चुकी थी। हिरियाबाई की एक मात्र संतान पुत्री झमलीबाई थी जिसकी मृत्यु दिनांक 23.03.2011 को हो चुकी थी। आवेदक हिरियाबाई की पुत्री झमलीबाई का पुत्र अर्थात् नाती है। झमलीबाई की पुत्री सरोजबाई की मृत्यु दिनांक 20.02.2015 को हो चुकी है। सरोजबाई विवाहित थी उसकी कोई संतान नहीं थी। इस तरफ स्व. श्रीमती हिरियाबाई का एक मात्र वारसान आवेदक जगदीश है। हिरियाबाई अपनी पुत्री झमलीबाई के पास ही निवास करती थी। किन्तु झमलीबाई की मृत्यु के पश्चात आवेदक जगदीश एवं सरोज ही हिरियाबाई की सेवा सुश्रवा एवं देखरेख

करते आ रहे थे। इस कारण हिरियाबाई द्वारा सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा बैहर में अपने नाम पर एक बचत खाता खोला गया था। जिसका खाता क्रमांक-2001931030039131 है, उक्त खाते में हिरियाबाई के नाम पर 2,63,833/- रुपये की राशि जमा है। स्व. हिरियाबाई द्वारा उसके बचत खाता में नामिनी के रूप में उसकी नातिन सरोजबाई का नाम दर्ज कराया था। किन्तु सरोजबाई की मृत्यु हो जाने के कारण स्व. हिरियाबाई का एक मात्र वारसान आवेदक है। आवेदक के अलावा स्व. हिरियाबाई के कोई अन्य विधिक वारसान नहीं हैं। स्व. हिरियाबाई आवेदक के साथ ही निवास करती थी और उसकी मृत्यु पश्चात आवेदक द्वारा ही स्व. हिरियाबाई का मृत्यु संस्कार व क्रियाकर्म इत्यादि किया गया था। इस प्रकार आवेदक मृतक हिरियाबाई का वैध वारसान एवं विधिक उत्तराधिकारी है। सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा बैहर के खाता क्रमांक-2001931030039131 में जमा की गयी राशि 2,63,833/- (दो लाख तिरेसठ हजार आठ सौ तौतीस) रुपये मय ब्याज के आवेदक को दिलाये जाने के लिए आवेदक ने उसे उत्तराधिकार प्रमाण पत्र दिये जाने का निवेदन किया है।

3- आवेदक के आवेदन के आधार पर सर्वसाधारण/अनावेदक की ओर से आपत्ति पेश करने हेतु जाहिर सूचना दैनिक समाचार पत्र "दैनिक भास्कर" में दिनांक 08.09.2016 को आवेदक के व्यय पर प्रकाशित हुई थी, किन्तु नियत अवधि के उपरांत अनावेदक/सर्वसाधारण की ओर से आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई थी और न ही कोई उपस्थित हुआ था। अतः अनावेदक/सर्वसाधारण के विरुद्ध दिनांक 26.09.2016 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी।

4- प्रकरण में निम्न विचारणीय बिन्दु उत्पन्न होते हैं:-

1. क्या आवेदक आवेदन पत्र के पैरा-03 में उल्लेखित मृतक हिरियाबाई द्वारा सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा बैहर के खाता क्रमांक-2001931030039131 में जमा की गयी राशि मय ब्याज के प्राप्त करने का अधिकारी हैं ?

साकारण निष्कर्ष के आधार

विचारणीय बिंदु क-01 का निराकारण:-

5- जगदीश धुर्वे आ.सा.02 ने स्वयं के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र की साक्ष्य में बताया है कि उसकी नानी हिरियाबाई वार्ड नं.-2 रौंदाटोला बैहर में निवास करती थी। जिनकी मृत्यु दिनांक 20.06.2015 को ग्राम रौंदाटोला में हो गयी है। साक्षी की नानी हिरियाबाई के कोई पुत्र संतान नहीं थी। हिरियाबाई के पति सोनसिंह मेरावी की मृत्यु

हिरियाबाई की मृत्यु के पूर्व हो चुकी है। हिरियाबाई की एक मात्र संतान झमलीबाई थी जिसकी मृत्यु दिनांक 23.03.2011 को हो गयी है। आवेदक हिरियाबाई की पुत्री झमलीबाई का पुत्र होकर हिरियाबाई का नाती है। झमलीबाई की पुत्री सरोजबाई की मृत्यु दिनांक 20.02.2015 को गयी है। सरोजबाई अविवाहित थी उसकी कोई संतान नहीं थी। इस तरह हिरियाबाई का एक मात्र वारिस आवेदक जगदीश धुर्वे है। हिरियाबाई उसकी पुत्री झमलीबाई के पास निवास करती थी। लेकिन हिरियाबाई की मृत्यु के बाद आवेदक जगदीश एवं सरोजबाई झमलीबाई की सेवा एवं देख-रेख करते आ रहे थे। हिरियाबाई ने सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा बैहर में बचत खाता क्रमांक 2001931030039131 खोला था जिसमें 2,63,833/- रुपये की राशि जमा है। जिसे आवेदक मय ब्याज के प्राप्त करने का विधिक उत्तराधिकारी है। आवेदक की उक्त साक्ष्य का समर्थन मोहपतसिंह उइके आ.सा.03, भगतसिंह पन्दे आ.सा.04 ने उनकी साक्ष्य में किया है।

6— राजीव बंसल आ.सा.01 का कथन है कि दिनांक 25.06.2014 को सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा बैहर में श्री जे.पी.सिंगोर शाखा प्रबंधक के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को बचत खाता क्रमांक 2001931030039131 श्रीमती हिरियाबाई पति सोनसिंह के नाम से खोला गया था। उक्त बचत खाते में दिनांक 02.06.2017 तक ब्याज सहित 2,80,091/- रुपये जमा है। हिरियाबाई ने अपने नामिनी के रूप में अपनी नातिन सरोज उइके का नाम दर्ज कराया था। श्रीमती हिरियाबाई का बचत खाता खुलवाते समय साक्षीगण सुंदरलाल पटले एवं भगतसिंह पन्दे उपस्थित हुए थे जिन्होंने गवाह के तौर पर हस्ताक्षर किये थे। श्रीमती हिरियाबाई अनपढ़ थी और वह अंगूठा लगाती थी। श्रीमती हिरियाबाई को बचत खाता क्रमांक 2001931030039131 की पास बुक जारी की गई थी।

7— आवेदक पक्ष की ओर से हिरियाबाई के बचत खाते का आवेदन फार्म प्र.पी.01, हस्ताक्षर नमूना प्र.पी.02, टी.डी.एस. फार्म नं.60 प्र.पी.03 प्रस्तुत किया है जिस पर आवेदक/ खाता धारक हिरियाबाई की अंगूठा निशानी है। आवेदक हिरियाबाई के नाम की बचत खाता की पास बुक प्र.पी.04 है। फार्म प्र.पी.01 एवं हस्ताक्षर नमूना प्र.पी.02 पर क्रमशः ए से ए एवं बी से बी भाग पर श्री जे.पी.सिंगोर के हस्ताक्षर हैं। वर्तमान में हिरियाबाई की मृत्यु हो गयी है एवं नामिनी सरोजबाई की भी मृत्यु हो गयी है। हिरियाबाई का कोई पुत्र नहीं था। हिरियाबाई एवं उसकी पुत्री झमलीबाई की मृत्यु हो गयी है। जब हिरियाबाई का सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक में खाता खुला था तब आवेदक साक्षी भगतसिंह पन्दे आ.सा.04 उपस्थित था। भगतसिंह पन्दे ने उसके शपथ पत्र की साक्ष्य में यह बताया है कि मृतक हिरियाबाई का अन्य कोई जीवित वारसान नहीं था। आवेदक साक्षी क02 जगदीश हिरियाबाई का एक मात्र विधिक वारसान है। आवेदक साक्षी

क01 द्वारा दिनांक 12.08.2017 के बचत खाता क्रमांक 2001931030039131 की पास बुक की सत्यप्रतिलिपि एवं हिरियाबाई द्वारा खाता खोलने का आवेदन पत्र, हस्ताक्षर नमूना की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की है।

8— आवेदक ने दस्तावेजी साक्ष्य में दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन की मूल प्रति प्र.पी.05, हिरियाबाई का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 20.06.2015 की मूल प्रति प्र.पी.06, आवेदक की मां झमलीबाई का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 23.03.11 की मूल प्रति प्र.पी.07, छोटी बहन सरोजबाई का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 20.02.2015 की मूल प्रति प्र.पी.08, वार्ड मेम्बर बैहर के वार्ड क02 का प्रमाण पत्र दिनांक 08.08.2015 प्र.पी.09 एवं नई दुनिया समाचार पत्र के प्रकाशन की रसीद प्र.पी.10 प्रस्तुत की है। कृष्णसिंह तेकाम पार्षद के प्रमाण पत्र प्र.पी.09 में भी यह लिखा है कि आवेदक हिरियाबाई का उत्तराधिकारी है। आवेदक जगदीश आ.सा.02 के कथन का समर्थन प्र.पी.01 लगायत 10 के दस्तावेजों से होता है। अनावेदकगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो जाने से आवेदक की अखण्डनीय साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई आधार नहीं है। उक्त परिस्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि आवेदक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने पर कि भविष्य में मृतक हिरियाबाई की राशि के बचत खाता बाबत कोई क्लेम प्रस्तुत किये जाने पर वह हिरियाबाई के बचत खाता क्रमांक 2001931030039131 में जमा राशि न्यायालय में जमा करने का बंधनकारी रहेगा। आवेदक द्वारा न्याय शुल्क प्राप्त किये जाने पर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

9— अतः आवेदक की ओर से पेश किया गया आवेदन पत्र धारा-372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 का स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि मृतक हिरियाबाई के वारिसों की घोषणा किये बगैर उसके नाम से सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा बैहर में बचत खाता क्रमांक 2001931030039131 में जमा राशि 2,63,833/- रुपये/-(दो लाख तिरसठ हजार आठ सौ तैंतीस रुपये) मय ब्याज के प्राप्त करने हेतु उस पर नियत स्टाम्प शुल्क पेश करने पर आदेश का प्रवर्तन जारी किया जावे एवं उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त होने वाली राशि पर सुरक्षा हेतु धारा-375 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अंतर्गत आवेदक जगदीश धुर्वे की ओर से 3,00,000/-(तीन लाख रुपये) का बंध पत्र इस आशय का पेश करने पर कि भविष्य में यदि कोई विवाद उत्पन्न होने पर उक्त राशि यदि और कोई प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है तो उक्त राशि न्यायालय में वह अविलम्ब जमा करायेगा। अतः तदनुसार आवेदक जगदीश धुर्वे के पक्ष में मृतक हिरियाबाई के नाम से सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण

बैंक शाखा बैहर में बचत खाता क्रमांक 2001931030039131 में जमा राशि 2,63,833/- रुपये राशि मय ब्याज आदि के प्राप्त करने हेतु उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

10- इस आवेदन पत्र का व्यय आवेदक स्वयं वहन करें।

स्थान- बैहर

दिनांक-29/08/2017

(दिलीप सिंह)

द्वि.व्य.न्या.वर्ग-1, बैहर

तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)